भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 175

03.02.2025 को उत्तर के लिए

देश में पक्षियों की संख्या

175. श्री जगदम्बिका पाल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दशक में देश में पक्षियों, विशेष रूप से उन प्रजातियों के बीच जो कशेरुक, मृत पशुओं और अकशेरुकी जीवों पर निर्भर हैं, की संख्या की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो-बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड जैव विविधता केन्द्र जैसे ग्रेट ग्रे श्राइक, सारस क्रेन, येलो-क्राउन्ड कठफोड़वा (वुडपेकर) की स्थानिक पक्षी प्रजातियों की संख्या में अत्यधिक गिरावट का अनुभव किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान पक्षियों, विशेष रूप से पर्यावासों के नष्ट होने और बदलती पारिस्थितिक स्थितियों के कारण संकट का सामना करने वाले पक्षियों की संख्या के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के संरक्षण प्रयासों और पहलों के परिणामस्वरूप विशिष्ट पक्षी प्रजातियों, विशेष रूप से खतरे में पड़ी प्रजातियों की संख्या में कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) यह मंत्रालय एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ और हिम तेंदुए जैसी प्रमुख प्रजातियों की संख्या के आकलन का कार्य करता है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पक्षियों सहित कई अन्य वन्य पशुओं के संबंध में भी संख्या का आकलन किया जाता है।

देश की पक्षी प्रजातियों सहित वन्यजीवों के संरक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में निम्न शामिल हैं:

i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में 208 पक्षी प्रजातियों को अनुसूची-I में और 1134 पक्षी प्रजातियों को अनुसूची-II में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे उन्हें शिकार से संरक्षण प्रदान किया गया है।

ii. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत पूरे देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं।

iii. इस मंत्रालय ने देश में आर्द्रभूमियों को बेहतर संरक्षण देने के लिए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 अधिसूचित किया है।

iv. बस्टर्ड, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट्स, निकोबार मेगापोड, जेरडॉन कोर्सर और गिद्धों सहित 22 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों पर केंद्रित संरक्षण कार्रवाई के लिए गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम' के एक विशिष्ट घटक को 'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' नामक चालू केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में शामिल किया गया है।

v. 'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

*****